अध्याय प्रथम : शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना -

शिक्षा का मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है| शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अंत में विश्व का सर्वांगिण विकास निर्भर करता है | यह मानव की आकांक्षा एवं अपेक्षाओं को जगाकर उसे पूरा करने में सहायता भी प्रदान करती है | मानव को उसके अतित से परिचित करवा कर वर्तमान में जीवन जीने की कला सिखाती है तथा आनेवाले भविष्य का निर्माण करने की क्षमता भी प्रदान करती है | इसलिए शिक्षा को मानवी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंगकहा जाता है | शिक्षा से व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक विकास होने में मदद मिलती है | शिक्षा के बिना व्यक्ति विकास की कल्पना आज हम कर ही नहीं सकते, इसलिए शिक्षा एक ऐसी क्रिया है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय विकास एवं उत्पादनशीलता की दृष्टि से आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र कर रहा है | क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में शिक्षा का अद्वितीय योगदान होता है| इसलिए राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की गति में तीव्रता लाने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शैक्षिक नियोजन और उसका निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है |

गांधीजी ने कहा था कि किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्णहोती है और उसकी नींव है- 'प्राथमिक शिक्षा'| उन्होंने समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा से जोड़ने हेतु बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया, परंतु आज भी समाज में निरक्षरता विद्यमान है | जहां एक ओर पूरे भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछाया हुआ है | तो वही दूसरी ओर देश में ऐसे अनेक बच्चें है जो आज भी प्राथमिक शिक्षा से पूर्णत: वंचित नजर आते है | राष्ट्र की उन्नति वहाँ की शिक्षा तथा उसके क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए उसमें समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होता है | जिसमें बालक एवं बालिकायें राष्ट्र के उत्थान में अपनी भूमिका सकुशल निभा सके|

प्राथमिक शिक्षा की भूमिका का महत्व आर्थिक तौर पर समझना हो तो आज के वैश्विकरण के युग में हर राष्ट्र का यही प्रयत्न रहा है कि वह प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे | राष्ट्र को उन्नति के शीर्ष स्थान

पर पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय विकास में भौतिक संसाधनों के साथ या उससे अधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के विकास को महत्व दिया जाता है| मानव संपत्ति तैयार करने में शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है| इसलिए किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर ही उस राष्ट्र का विकास निर्भर करता है | राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखकर, इसके साथ ही भविष्यकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर, राष्ट्र की शिक्षा नीति को बनाया जाकर उसे किस प्रकार से अंमलिजामा पहनाया जाता है, इस पर राष्ट्र की शैक्षिक गुणवत्ता निर्भर करती है| विश्व के सभी राष्ट्र इस बात को स्वीकार करते है कि किसी भी समस्या को अगर हल करना हो तो शिक्षा के अभाव में हल नहीं किया जा सकता| इसी कारण सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना आज प्रत्येक राष्ट्र को महत्वपूर्ण लगता है|

हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक तंगी के काण जीवनयापन के विभिन्न तरीकों के कारण या फिर शिक्षा के प्रति रूचि न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालयों में नामांकित नहीं कर पाते| ऐसे परिवारों के ज्यादातर बच्चें सामान्यत: प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाते है| जिन बच्चों का विद्यालय शिक्षा में नामांकन किसी तरह हुआ वे भी एक-दो वर्ष अध्ययन कर विद्यालय को त्याग देते है, विशेषकर इसमें बालिकाओं की संख्या अधिक होती है| वास्तव में ऐसे बच्चें किसी न किसी काम से जुड़े होते है, यह काम घरेलू काम या अपनें छोटे भाई–बहनों की देखभाल या आर्थिक मजबूरी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में हि छोड़ देनी पड़ती है| ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता|

जीवन में स्वावलंबी बनने हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रथम पायदान है इसलिए 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के माध्यम से समस्त भारत को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है| लेकिन इसके पहले इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था, क्या शिक्षा पर सब का अधिकार था ? क्या शिक्षा सबको मिल पाति थी ? हर शासन काल में प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार दि जाती थी| प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन-कौन से उपाय, योजनायें तथा अधिनियम बनाए गए ये भी जानना जरुरी होता है| इसलिए प्राथमिक शिक्षा के विकास पर संक्षेप में नजर निम्नाकित रूप में -

1.1.1 स्वतंत्रता पूर्व प्राथमिक शिक्षा–

भारतीय शिक्षा के विकास का इतिहास अति प्राचीन है | अगर विश्व के सन्दर्भ में शिक्षा की बात करे तो हम यह कह सकते है कि विश्व में शिक्षा का प्रारंभ तभी से माना जा सकता है की जब से मानव सभ्यता का विकास इस वसुंधरा पर हुआ| शिक्षा मानव को मिले एक वरदान के समान ही है, जो मानव को पशुओं से अलग खड़ा कर देती हैं| भारत की मानव सभ्यता विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से प्राचीनतम कहीं जाती है, इससे साफ जाहिर है की भारत में प्राचीनतम काल से ही शिक्षा की ज्योत मानव को अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाती रही है|

भारत की भूमी पर शिक्षा का शुभारम्भ आज से करीब5,000 वर्ष से भी पूर्व हुआ था| बहुत से इतिहासकार शिक्षा की शुखात वैदिक काल से आरम्भ होने की बात करते है, जब की सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के पहले स्थापित तथा विघटित हुई | सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेष, शिलालेख, चित्रों आदि ऐसे चीजों पर भाषा की लिखावट आज भी शिक्षा का आरम्भ होने के संकेत देते है| आज भी कई शिलालेखों की भाषा मनुष्य को अज्ञेय तथा उसके समझ के परे है, ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना भी है | इतिहास के पन्नों में शिक्षा–प्रणाली का यदि हम अवलोकन करे तो शिक्षा की व्यवस्थित रचना वैदिक कालीन शिक्षा से प्राप्त होने के कारण ही वही से शुरुवात करनी पड़ती है | अत: शिक्षा–प्रणाली ही किसी भी राष्ट्र की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति की सूचकहै, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने प्राचीन शिक्षा–प्रणाली की जानकारी होना आवश्यक है |

वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा - प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में समाज एवं राष्ट्र की परम्पराओं का संरक्षण गुरुकुल में होता था| सामान्यत: गुरुकुल जंगलो में या पर्वतीय स्थानों के शांत वातावरण में स्थापित होते थे | आज की तरह उस काल में भी घर ही प्रथम पाठशाला के रूप में कार्यरत थी, उम्र का निश्चित पड़ाव होने के बाद ही बालक को गुरुकुल में भेजा जाता था | शिक्षा की शुरुवात 'उपनयन' संस्कार करने के उपरांत ही बालक अपने मातापिता से दूर रहकर गुरु के घर पर ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता था | शिक्षा में मौखिक रूप से मंत्रो को उच्चारण तथा याद करना, चिंतन, मनन को महत्वपूर्ण स्थान मिलता था | इस शिक्षा-प्रणाली में छात्र का दृष्टिकोण भौतिक न होकर आध्यात्मिक बनाने पर जोर दिया जाता | वैदिक शिक्षा मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती थी 'सा विद्या या विमुक्तये'

शिक्षा प्राप्ति का यह प्रमुख उद्देश्य था | इसके साथ ही छात्रों का चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, जीविकोपार्जन की शिक्षा, ज्ञान का विकास करना, चित्तवृत्तियों का निरोध ये भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य थे |

परंतु वैदिक कालीन शिक्षा यह केवल समाज के अभिजन वर्ग के लिए ही होती थी, सभी वर्ग एवं जाती के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता था | खासकर निम्न वर्ग तथा स्त्री-शिक्षा की पुर्णतः उपेक्षा इस शिक्षा प्रणाली में की गई थी | संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जन-साधारण की प्राथमिक शिक्षा के दृष्टि से वैदिक काल में शिक्षा का प्रसार सीमित था |

बौद्ध कालीन प्राथमिक शिक्षा - बौद्ध कालीन शिक्षा-प्रणाली में उन सभी वर्ग तथा जाती को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिलाया, जिन्हें वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति के मूलभूत अधिकारों से कई सालों तक वंचित रखा था | बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा हमे जातक कथाओं के द्वारा प्राप्त होती है प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धम्म अनुयायीयों को ही नहीं बल्कि सभी वर्ग, जातियों के बच्चों को उपलब्ध कराई जाती थी | क्योंकि बौद्ध धम्म में जाति-पाति का कोई भेद नहीं मानता है | इसी आधार पर इन्होंने अपनी शिक्षा के द्वार सभी धर्म, जाति के लोगों के लिए खोले हुए थे | प्राथमिक शिक्षा को सांसारिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी, इसकी पुष्ठी चीनी यात्री फाह्यान की भारत यात्रा के वर्णन में मिलती है | बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतू 6 वर्ष की आयु में विद्यालय प्रवेश होता था | लेकिन उसके पहले शिक्षा से सम्बन्धित 'प्रब्बज्जा' संस्कार करना पड़ता था, उसी के उपरांत विद्यालय या मठो में प्रवेश मिलता था |

विद्यालयों में दि जानेवाली प्राथमिक शिक्षा में लेखन, पठन तथा गणना सिखाई जाती, इसके साथ ही शिल्प कला विद्या भी पूरक विषय के रूप में पढ़ाये जाते थे | प्राथमिक शिक्षा मुख्यत: जन-सामान्य की बोली जानेवाली जनभाषा पाली में दी जाती, जिससे लोगों के शिक्षा प्राप्त करने की ललक जाग उठी थी | इस शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से चरित्र का निर्माण, व्यक्तिव का निर्माण, नैतिक आचरणों का विकास करके बच्चों को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करवाना था |

संक्षेप में बौद्ध कालिन शिक्षा-प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोलकर शिक्षा के प्रति सामाजिक भेदभाव मिटाने का प्रयास किया गया | सही मायने में भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में

प्राथमिक शिक्षा का सर्वप्रथम सार्वभौमीकरण करने का प्रथम प्रयास किया गया | प्राथमिक शिक्षा यह जनमानस की मातृभाषा पाली में देकर अभिजनों की भाषा को नकारकर सामान्य वर्ग, जाति में शिक्षा का लोकव्यापिकरण करने का प्रयास बौद्ध काल में हुआ था |

मुस्लिम कालीन प्राथमिक शिक्षा – मुस्लिम कालीन शासन व्यवस्था यह मध्यकालीन काल में थी | इस काल में मस्जिदों के पास स्थित 'मकतबों', 'खनगाहों' एवं 'दरगाहों' में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी | वैदिक कालीन 'उपनयन' और बौद्ध कालीन 'प्रब्ब्ज्जा' संस्कारों की तरह मुस्लिम शिक्षा 'बिस्मिल्लाह' रस्म के द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेशित किया जाता था | यह रस्म बच्चा जब चार वर्ष, चार माह, चार दिन का होता था तब की जाती | मौलवी साहब बच्चों को कुरान की आयत से शिक्षा का आरम्भ कराते थे, इस प्रकार बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का शुभारम्भ होता था |

इस दौर में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाती थी, लेकिन इनके शिक्षा संस्थाओं में केवल मुस्लिम बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे | कुछ व्यक्तिगत शिक्षक धनी घरानों के बच्चों को घरों पर जाकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते थे |

मकतबों में अरबी, फारसी वर्णमाला, गणित, व्याकरण, नैतिकता तथा चरित्र विकास की शिक्षा के साथ ही वार्तालाप, भाषण कलाएं, पत्र लेखन आदि की प्राथमिक शिक्षा से बच्चों को रूबरू किया जाता था | उस समय की प्रचलित 'मौखिक शिक्षा विधि' का ही उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता, प्रायः रटने पर बल देकर कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ बच्चों के द्वारा करायी जाती थी | इन सभी बातो पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था | प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अरबी, फारसी ही थी, लेकिन भारत की भूमि पर हिंदी भाषा का मिलाप करके उर्दू भाषा का अविष्कार होने के बाद भाषाका माध्यम बाद में उर्दू हो गया जो आज भी कायम है |

इस प्रकार मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा को जीवन के लिए अनिवार्य समझा गया | इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब ने शिक्षा को न केवल आवश्यक कर्तव्य माना है, अपितु वह शिक्षा को अमर तत्व प्रदान करने वाला मानते है |

यूरोपीय ईसाई मिशनरियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा - नये समुद्री मार्ग की खोज पर निकले पुर्तगाली साहसी नाविक वास्को-डी-गामा 24 मई, 1498 में भारत के कालिकट बन्दरगाह पर पहुँचने वाला पहला यूरोपिय व्यक्ति था | इसके साथ ही समुद्री व्यापार मार्ग की खोज होने के बाद यूरोप के ब्रिटेन, डच, फ्रांसीसी, व डेन (डेनमार्क) देश की कपंनीयां व्यापार तथा ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी भारत में आए |

इन मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म में लोगों का धर्मान्तरण करने के लिए शिक्षा को अपना माध्यम बनाया | शुरवाती दौर में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का काम किया | प्राथमिक शिक्षा देने के लिए दूरस्दराज के इलाकों में विद्यालयों की स्थापना करके, यहाँ के निवासियों में व्याप्त अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अपना हथियार बनाकर यूरोपिय शिक्षा की शुखात तथा विकास किया |

ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म की शिक्षा देने के साथ-साथ आधुनिक यूरोपिय शिक्षा एवं भारतीय विषयों की शिक्षा भी प्रदान करने पर जोर दिया | भारत में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भी अच्छा खासा योगदान देकर, अपने कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी | इसके लिए उन्होंने अपने कारखानों के करीब ही प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना की | इस प्रकार के विद्यालय पुर्तगाली, ब्रिटेन, डच, फ्रांसिसि, डेन (डेनमार्क) की व्यापारिक कम्पनियों ने गोवा, दमन, डयू, हुगली, चरगाव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की | फ्रांसिसियों ने पांडीचेरी, यनाम, कालीकर, चन्द्रनगर में तो डेन (डेनमार्क) ने तंजौर तथा श्रीरामपुर में अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी|

भारत में ईसाई धर्म का प्रचार का विरोध होने पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार में रूकावटे आने लगी जिससे मिशनरियों और कम्पनी अधिकारियों के बीच टकराहट होने के कारण शैक्षिक कार्यों में रूकावटे आने लगी | यह मामला ब्रिटेन पहुँचकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी को 1813 में लिखें आज्ञा पत्र में आदेश दिया की कम्पनी मिशनरियों के कार्य पर कोई रोक नहीं लगाएगी|

संक्षेप में यूरोपीय ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने के मुख्य उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार दूस्दराज के आदिवासी क्षेत्र हुआ | पहली बार भारत की भूमि पर मिशनरियों ने आधुनिक यूरोपियन पद्धति की शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की थी|

ब्रिटिश कालीन प्राथमिक शिक्षा - आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए यूरोपियन ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने प्रयास किया | इसलिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाना उनका अंतिम उद्देश्य था | ऐसे वातावरण में ही वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ | इसलिए मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक कहा जाता है |

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों उपाय, क्रियान्वयन किए गए जो निम्न रूप में |

- **आज्ञा–पत्र (1813) -** ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी सरकार तथा मिशनरियों के विवाद सुलझाने ने लिए कम्पनी को लिखें पहले आज्ञा-पत्र (Charter Act,1813) में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएथे | जिनमें भारतीय लोगों की शिक्षा की जवाबदेही ईस्ट इंडिया कम्पनी के कंधो पर डाल दी | मिशनरियों को भारत में जाकर शिक्षा के सन्दर्भ में कार्य करने की खुली छुट मिली | इसके अलावा इस आज्ञा-पत्र के धारा 43 में प्रावधान किया कि कम्पनी जो धन कर के रूप में जमा करती है, उसमे से जो खर्च करके जो बचता है, उसमें से एक लाख रुपये हर साल भारतीय शिक्षा पर खर्च करे | इस आज्ञा-पत्र से भारत में बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और धर्म प्रसार तथा शिक्षा के काम में तेजी आयी | इनसे प्रेरणा लेकर निजी संस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय खोले और शिक्षा के विकास में अपना सहयोग भी प्रदान किया |
- **आज्ञा–पत्र (1833) -** ब्रिटिश कम्पनी के अधिकारियों के शैक्षिक कार्यों से ब्रिटिश पार्लियामेंट खुश नहीं थी | इसलिए बीस साल बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को नया आज्ञा-पत्र (Charter Act,1833) जारी करना पड़ा | इस आज्ञा-पत्र के जरिए फिर से कम्पनी पर शिक्षा का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया तथा शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव भी दिए गए | जिन्हमें 1813 के आज्ञा-पत्र में स्वीकृत धनराशि एक लाख रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे बढ़ाकर

10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की गयी | धनराशि दस गुना होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में तेजी आकर शिक्षा के विकास के प्रति संम्भावानायें बढ़ी | लेकिन यह धनराशि किस प्रकार के शिक्षा के उपर खर्च की जाए इस पर 'लोक शिक्षा समिति' के सदस्यों में प्राच्यवादी शिक्षा तथा पाश्चात्यवादी शिक्षा देने पर विवाद उभरकर सामने आए | इस कारण कम्पनी बीस वर्ष तक शिक्षा की कोई निश्चित नीति तय कर न सकी | इस विवाद पर मैकाले के विवरण-पत्र से पड़दा पड़ा |

- **मैकाले का विवरण-पत्र (1835) -** लॉर्ड मैकाले के विवरण-पत्र से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुखात होती है | मैकाले गवर्नर जनरल एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल का सदस्य बनकर आया था, उसे कम्पनी ने भारतीय शिक्षा पर दस लाख रूपये किस प्रकार से खर्च किए जाए इस पर कानूनी राय माँगी थी | उसने अंग्रेजी भाषा को आधुनिक ज्ञान की कुन्जीकह कर अरबी, संस्कृत तथा फारसी आदि प्राचीन भाषाओं से अधिक उपयोगी समझा, इसलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए | देश की विशाल जनता को शिक्षित करना एक कठिन काम है, इस कारण शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को ही प्रदान की जाए जो सरकार के काम-काज चलाने में सहायता करे | शिक्षा के सन्दर्भ में 'निस्यन्दन सिद्धान्त' (Downward Filtration Theory) पर जोर देकर उच्च वर्ग की शिक्षा का समर्थन कर सामान्य वर्ग की शिक्षा को नकारा था |
- **बेंटिक का विवरण-पत्र (1835) एवं आँकलैंड का विवरण पत्र (1839)-** भारत के शैक्षिक इतिहास में यह दो प्रमुख शिक्षा के दस्तावेज़ कहलाते है | 1835 का बेंटिक विवरण-पत्र का उल्लेख 'अंग्रेज सरकार की भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में पहली शिक्षा निति' के नाम से जानी जाती है | इस शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा का माध्यम भी निश्चित हो गया था | शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु किया जाएगा | संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षा संस्था यथावत् बनी रहेगी, प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर खर्च न करते हुए अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य पर ध्यान दिया गया | बैंटिक समाज सुधार के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता था, फिर भी वह मैकाले ने बताये रास्ते पर ही शिक्षा को चलाना चाहता था |

लॉर्ड आँकलैंड ने अपने विवरण-पत्र (1839) के माध्यम से प्राच्य शिक्षा की विद्यमान संस्थाओं को जारी रखकरउसमें अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाए, प्राच्य भाषाओं में शिक्षण की उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाएगा| अंग्रेजी भाषा के जरिए अधिक संख्या में विद्याथियों को यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए| सरकार ने समाज के उन्हीं उच्च वर्ग को शिक्षित करे जिन्हकें पास अध्ययन के लिए फालतू समय हो, इससे शिक्षा निचले वर्ग तक छन-छनकर सामान्य वर्ग तक पहुँचेगी| आँकलैंड ने लॉर्ड मैकाले के 'निस्यन्दन सिद्धान्त' (Downward Filtration Theory) का कट्टरता से पुरस्कार किया|

- **एडम्स प्रतिवेदन (1835-1838) –** बैंटिक महोदय ने भारतीय शिक्षा के बारे में एक विशेष जाँच गठित कर शैक्षिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए विलियम एडम्स को कमिश्नर नियुक्त कर जिम्मेदारी सोंपी गयी थी | उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए | उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों को विशेष भवन नहीं थे | विद्यालय घर पर, मन्दिर, मस्जिद, या पेड़ के नीचे हि चलाये जाते थे | मुद्रित पुस्तकों, शिक्षण सामग्री का अभाव था, पाठ्यक्रम पढ़ना, लिखना तथा गिनना तक ही सीमित था | बालिकाओं तथा अस्पृश्यों की शिक्षा का अभाव था | एडम्स ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विद्यालयों, विद्यार्थी तथा शिक्षकों की गणना कर उस काल की प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण करना यह भारत का शिक्षा सर्वेक्षण के सन्दर्भ में पहला कदम था|
- **वुड का घोषणा-पत्र (1854)-** ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में एक संसदीय समिति गठित की | उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के प्रधान थे | उन्होंने 19 जुलाई, 1854 को एक शिक्षा नीति की घोषणा की, इस शिक्षा नीति को हि 'वुड का शिक्षा-घोषणा पत्र' या 'वुड डिस्पैच' कहा जाता है | इस घोषणा पत्र में, भारत के हर क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों की स्थापना करना, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रजी भाषा का भी स्वीकार करना, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक प्रयास करना, विद्यालयीन शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं को'सहायता अनुदान प्रणाली' प्रदान करना | शिक्षा संस्थाओं में धर्म-निरपेक्ष शिक्षा की नीति को अपनाया जाना | प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को उचित शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, औद्योगिक शिक्षा

तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना | प्राचीन भारतीय साहित्य अरबी, संस्कृत और फारसी भाषा का विकास करके, जन शिक्षा का प्रसार करना था |

वुड डिस्पैच यह भारतीय शिक्षण विषयक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था | जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा को स्पर्श करके, 'निस्यन्दन सिद्धान्त'(Downward Filtration Theory) का विरोध किया | स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित कर देशभर शिक्षा के विभाग खोले गए | इन्हीं सब कारणों से ही इस घोषणा-पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार-पत्र (Magna Charta) कहा जाता है |

- **स्टेनली का घोषणा-पत्र (1859) –** भारतीय शासन व्यवस्था पूर्णत: ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के हाथों में जाने के बाद भारतीय सचिव पद का सृजन कर लॉर्ड स्टेनली की नियुक्ति की गयी | उन्होंने अपने कार्य-काल में भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में ब्रिटिश नीति की घोषणा करके प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत किए| सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथों में रखकर, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय कर के रूप में धन जमा करे | इसका परिणाम सभी प्रान्तीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर का अधिनियम पास कर लिया, इसके फलस्वरूप शिक्षा का विकेंद्रीकरण होने में मदद मिली |
- **हण्टर आयोग / भारतीय शिक्षा आयोग (1882)-** गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में प्रथम 'भारतीय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति हुई| हण्टर के नाम पर ही इस शिक्षा आयोग को 'हण्टर कमीशन' के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है | इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की नीति, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अध्यापक-प्रशिक्षण, महिला शिक्षा आदि शिक्षा के सन्दर्भ में विस्तार से सिफारिशें प्रस्तुत की | पाठ्यक्रम को स्थानीय जरूरतों के आधार पर बनाना, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा रखना, अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए नार्मल विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना, शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा-कोष की स्थापना करना, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाना तथा स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषदों, नगर पालिकाओं पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौपा गया|

हण्टर कमीशन ने महिला शिक्षा प्रसार के लिए छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम में विविधता तथा नियुक्तियों में सुविधा, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित किया, पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की | कुल मिलाके इस आयोग की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार से सम्बन्धित थी |

- **लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति (1901-04) –** वाइराय के रूप में जब लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत आए तब यहाँ की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी | विद्या और शिक्षा का जानकार होने के नाते उसे अप्रगतिशील शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो गया था | कर्जन मानता था की शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है, इसलिए 'शिमला-शिक्षा सम्मलेन' (1901) में उसने भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचास्विनिमय किया साथ ही उच्च शिक्षा के लिए पहला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902), भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) भी पारित करवाया था |

  उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में अपनी सिफारिशों में कहा था कि स्थानीय शिक्षण संस्थाओं को उच्च शिक्षा की बजाय प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देकर उसी पर धन खर्च करना चाहिए | शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम-पुस्तकों को बच्चों के अनुरूप बनाया जाए | देशी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा-नीति का निर्धारण केन्द्रीय सरकार ही करेगी तथा शिक्षा पर सरकार पहले की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करेगी | शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर सरकार का नियन्त्रण रहेगा | संक्षेप में लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्य-काल में भारतीय शिक्षा के सभी अंगो को स्पर्श करने का काम किया |

- **गोखले बिल (1910-11) –** गोपाल कृष्ण गोखले एक वक्ता, समाज सेवक तथा शिक्षाशास्त्री भी थे | उस समय 1907 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने बड़ौदा राज्य में 7-12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी | इससे प्रेरणा लेकर गोखले ने 19 मार्च, 1910 को 6-11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव केन्द्रीय धारा-सभा में रखा तथा शिक्षा के सन्दर्भ में एक कमीशन बिठाकर इस विषय में जाँच करने की मांग की, सरकार ने वचन देने पर गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया | निरुत्साहित न होकर फिर से उन्होंने दूसरा प्रस्ताव 16 मार्च,

1911 को रखा लेकिन वे प्रस्ताव पारित करवाने में असफल रहे | फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक-शिक्षा से सम्बन्धित यह भारत का पहला शिक्षा का बिल कहा जाता है, जो किसी भारतीय ने भारतीय जनता के लिए रखा |

गोखले के प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण सुझाव थे| इनमें 6 से 10 वर्ष आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, प्राथमिक शिक्षा का खर्च प्रान्तीय सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिए | केन्द्रीय सरकार में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख करने के लिए सचिव की नियुक्ति की जाए | हर साल के बजट में शिक्षा की प्रगति पर प्रकाश डाला जाए | संक्षेप में इस बिल का परिणाम यह हुआ की भारत की जनता तथा सरकार का ध्यान जन-साधारण की शिक्षा की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ|

- **शिक्षा नीति का प्रस्ताव (1913) –** गोखले के प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद शिक्षा के प्रति जन-मानस में जनजागृति होने लगी थी, इसका परिणाम सरकार को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा 21 फरवरी, 1913 को 'शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, 1913' के नाम से करनी पड़ी | इस प्रस्ताव में स्थानीय निकायों, जिला परिषदो को प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा विस्तार करने पर जोर दिया गया, बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ प्रकृति का अध्ययन, शारीरिक शिक्षा देना | शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 से 1:40 के बीच रखना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर उनकें लिए व्यावहारिक उपयोगिता के पाठयक्रम चलाना | विद्यालयों स्थिति में सुधार करना और शिक्षा का प्रसार करना आदि बातें कही गयी थी |
- **हर्टाग समिति (1927-29) -** ब्रिटिश सरकार की विदेशी शिक्षा नीति की आलोचना की जाँच करने के लिए 'साइमन कमीशन' ने सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक 'सहायक समिति' की घोषणा की | इस समिति ने भारतीय शिक्षा नीति का अध्ययन करके 11 सितम्बर, 1929 को साइमन कमीशन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया|

समिति ने अपने अध्ययन पाया की जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बहुत धीमा रहा, जिसके चलते साक्षरता प्रतिशत की दर में कमी आकर प्राथमिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं थी | उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में अपव्यय तथा अवरोधक

को मुख्य कारक रूप में बतलाया और इन समस्याओं को दूर करने हेतु अनेक उपाय भी सुझाए| प्राथमिक शिक्षा की मात्रात्मक वृद्धि की बजाय गुणात्मक वृद्धि पर ध्यान दिया जाए, सुविधाविहीन विद्यालयों को बन्द करना, शिक्षा में व्यावहारिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना, छोटी कक्षाओं पर विशेष ध्यान देकर, शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाना तथा प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण दायित्व स्थानीय निकायों पर न डालकर सरकार भी शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे|

- **वुड एवं ऐबट रिपोर्ट (1936-37) –** सरकार ने प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए 1936 में इंग्लैंण्ड से एस. एच.वुड और ए ऐबट ये दो शिक्षाशास्त्रियों को बुलाकर रिपोर्ट देने को कहा गया | वुड ने अपने सुझाव में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के बजाय उनकी रूचि और क्रियाशीलता के आधार पर शिक्षा दी जाए, बालिकाओं की शिक्षा के लिएविशेष प्रबंध कर महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए| प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, ग्रामीण मिडिल विद्यालय में पाठयक्रम स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो|

  ऐबट ने अपने व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझावों में भारतीय लोगों का मुख्य कृषि व्यवसाय होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों और विद्यालयों में कृषि शिक्षा दी जाए | इसके लिए गाँव में अलग से कृषि विद्यालय खोले जाए तथा क्षेत्रीय माँगों के अनुसार कला-कौशल्य शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए|

- **बुनियादी शिक्षा अथवा वर्धा-शिक्षा योजना (1937) -** गांधीजी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मलेन वर्धा में 22 और 23 अक्टूबर, 1937 को आयोजित किया गया, इसको 'वर्धा-शिक्षा सम्मलेन' भी कहा जाता है | इस सम्मलेन में गांधीजी ने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकट किए यह 'बुनियादी शिक्षा', 'नई तालीम', 'बेसिक शिक्षा' के नाम से भी जानी जाती है | इसी सम्मेलन में डा.जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में बुनियादी शिक्षा विचारों को क्रमबद्ध करने का विधिवत् काम सौंपा गया|

  डा.जाकिर हुसैन समिति ने अपने मुख्य सुझाव में, देश के समस्त बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए | शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा शिक्षण देने का माध्यम कोई उत्पादक हस्तशिल्प उद्योग हो जिससें की भविष्य में बच्चों का

जीविकोपार्जन हो सके | शिक्षा में श्रम को विशेष महत्त्व देकर बच्चों में श्रमनिष्ठ भावना उत्पन्न हो | बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं से आर्थिक लाभ प्राप्त कर शिक्षकों का वेतन तथा विद्यालय का पूरा खर्च किया जाए | संक्षेप में बुनियादी शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा को वास्ताविक जीवन से जोड़ने इसके साथ ही बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास कर बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना था |

- **सार्जेन्ट शिक्षा योजना (1944) –** द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद शिक्षा विकास की योजना तैयार करने के लिए तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट को कहा गया | उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंप दी | इसमें प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव भी प्रस्तुत किए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा की व्यवस्था करना | 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8 वर्षीय नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में 1:25 होना चाहिए | प्राथमिक शिक्षा का अपव्यय रोकने के लिए उपस्थिति निरीक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए|

  संक्षेप में सार्जेंट योजना यह पहली योजना है, जो प्राथमिक शिक्षा से पहले पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर बल देकर उसे पूर्णत: नि:शुल्क बनाने का सुझाव देती है| केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच शिक्षा के उत्तरदायित्व को निश्चित किया | प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने में समय अवधि बताकर अनुमानित खर्च भी बताया|

1.1.2 स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा –

15 अगस्ट, 1947 को जब हम ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब के नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी जनसंख्या के मूलभूत प्रश्नों के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्त्व को स्वीकार करते हुए जनसामान्य को शिक्षित करना भी एक मुख्य समस्या थी | यदि हम शिक्षा की व्यवस्था और विकास के प्रावधान पर नजर डाले, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने शैक्षिक विकास की आधारभूत संरचना विकसित करके आधुनिक प्रकार की शिक्षा प्रदान करनेका प्रयत्न किया | हालांकि उनका शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए ऐसा वर्ग तैयार करना था, जो दिखने में भारतीय हो

लेकिन आचार-विचारों में अंग्रज हो| फिर भी भारत में आधुनिक शिक्षा का शुरुात ब्रिटिश काल में हुई इसमें कोई दो राय नहीं | इसी सन्दर्भ में प्रख्यात विद्वान धर्मपाल कहते है कि 'अंग्रज ही भारत में संस्थागत शिक्षा प्रणाली लेकर आए और उनके आने से पहले भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्थित प्रणाली थी ही नहीं'(योजना,2013)|

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किए जाने लगा, उसी के स्थान पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग उठी जो भारतीय पारिस्थितियों के अनुरूप हो और स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरी कर सके| हालांकि प्राथमिक शिक्षा को नकारते हुए उस समय की परिस्थितियों ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रथम आयोग उच्च शिक्षा के लिए डा.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' 1948 बनाया गया था | हमारे संविधान निर्माताओं ने प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व जानकर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद45 में 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 10 साल के भीतर करना सरकार का दायित्व होगा | इस तरह का प्रावधान होने के बावजूद भी सरकार ने फिर से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान न देकर 1952 में माध्यमिक शिक्षा के लिए डा. मुदलियार की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' का गठन किया |

संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत का पहला आयोग उच्च शिक्षा के लिए तथा दूसरा आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थापित कर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना कर दी गई | इन दोनों आयोगों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार एवं विकास न होने के कारन सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ा | जिसके चलते प्राथमिक शिक्षा के लिए 14 जुलाई, 1964 में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की घोषणा करनी पड़ी |

- **कोठारी शिक्षा आयोग अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66)-** राष्ट्र को शिक्षा का प्रारूप, विभिन्न स्तरों की शिक्षा का सभी क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए 1964 में तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा. दौलत सिंग कोठारी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' गठित किया गया | इसे 'कोठारी आयोग' भी कहा जाता है | 19 जून, 1966 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्राथमिक शिक्षा से लेकरशोध कार्यों तक की सम्बन्धित संस्तुतियां दी| कुछ मुख्य संस्तुतियांनिम्नाकित रूप में |

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र खोलकर, इसका उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ा जाए | प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त को चरितार्थ किया जाए, अपव्यय एवं अवरोधन को कम करके अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाए | मजदूर बालकों के लिए विशेष कक्षाएँ चलाकर उन्हें मुख्य प्रवाह में लाया जाए, आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, महिला शिक्षा की गति को बढ़वा दिया जाए | विद्यालयों को अपनी आवश्यकतानुसार पाठयक्रम बनाने की छुट देनी चाहिए| प्राथमिक कक्षा के 1 से 4 वर्ग के लिए एक मातृभाषा में शिक्षा, उच्च प्राथमिक के लिए दो भाषा तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए तीन भाषाएँ अनिवार्य होनी चाहिए |

गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत करके शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की महत्वपूर्ण सिफारिश की | शिक्षा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, हर राज्य में विद्यालय शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए | आदि ऐसे प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव कोठारी आयोग ने दिए|

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) -** कोठारी आयोग के बाद सरकार ने 5 अप्रैल, 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण करने हेतु संसद सदस्यों की एक समिति गठित की| इस समिति ने राष्ट्र की शिक्षा विकास के लिए संविधान में वर्णित नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने पर बल दिया गया | शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध की समस्या को ख़त्म कर जिससे सभी बच्चों की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो सके| प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो | किसी कारण वश पढ़ाई छोडने वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने पर जोर दिया | इस शिक्षा नीति का 10+2+3 शिक्षा का प्रारूप अनेक सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश मानी जाती है|
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979) –** तत्कालीन जनता दल की सरकार ने अप्रैल, 1979 में संसद के सामने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का प्रारूप प्रस्तुत किया | हालांकि यह शिक्षा नीति कागजों पर ही रही फिर भी इस शिक्षा नीति की प्रमुख प्राथमिकता में प्राथमिक शिक्षा लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, इनमें सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान कर 'समन्वित

विद्यालय प्रणाली' की स्थापना पर बल देकर 'पड़ोसी विद्यालय योजना' के अन्तर्गत पड़ोस के सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित करने की योजना बनायीं गयी थी|

प्राथमिक शिक्षा के द्वारा चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देने के लिए पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करना| प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से निरक्षर लोगों को साक्षरता के दायरे में लाना यह दूसरा प्रमुख उद्देश्य था| शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा सर्जनात्मक तथा मनोरंजनात्मक शिक्षण क्रिया पर बल देना | संक्षेप में इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी |

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) –** भारत को इक्कीसवीं सदी के लिए आर्थिक, वैज्ञानिक तथा संचार प्रोद्योगिकी के रूप में सक्षम बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरुरतों को महसूस करने कारण ही 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का गठन 1986 में कर दिया गया |

इस शिक्षा नीति में, शिक्षा के सभी स्तरों को छुने का प्रयास किया गया | प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौम प्रवेश एवं 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को सार्वभौम शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुधार करना इन दो बातों पर विशेष ध्यान देना| प्राथमिक स्तर के अधिगम की गतिविधियाँ बाल केन्द्रित करना | विद्यालय से पलायन करने वाले, विद्यालय रहित, कामकाजी लड़को तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाना | शिक्षा की सामग्री बच्चों को निःशुल्क बाँटना, पाठ्यक्रम का स्वरुप स्थानीय वातावरण से सुसंगत बनाया जाए| 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सम्बन्धित अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए| इसके अतिरिक्त महिला अध्यापकों की नियुक्ति, पिछडों की शिक्षा, शिक्षा के समान अवसर, आदि प्रकार के उपाय प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाए थे|

संक्षेप में इस नई शिक्षा नीति में 2000 तक शत-प्रतिशत साक्षरता पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना को अनिवार्य किया गया था |

- **राममूर्ति समीक्षा समिति (1990) –** नई शिक्षा नीति (1986) का पुनरावलोकन तथा संशोधन करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 मई, 1990 को प्रोफेसर राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की नियुक्ति की | इस समिति ने संशोधित नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए |

  इनमें संविधान के मूल अधिकारों में शिक्षा को शामिल करना, प्राथमिक शिक्षा को 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, तो 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा ऐसे दो भागों में बाँटा जाए | प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को गम्भीरतापूर्वक लेकर विद्यालय नामांकन, शैक्षिक बाधाओं को दूर करके शतप्रतिशत सफलताओं के लिए ठोस प्रयास किए जाए | 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना' को चालू रखकर उसे गति प्रदान कर, शिक्षक समुदाय तथा सामाजिक पर्यावरण में सुधार किया जाए|

  संक्षेप में इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने पूर्व की शिक्षा नीति के अंतराल को पहचानकर उसे कम करने का प्रयास किया |

- **जनार्दन रेड्डी पुनर्समीक्षा समिति (1992) –** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 के सन्दर्भ में पुनर्विचार करने के साथ ही इससे जुड़ी कार्य योजना प्रस्तुत करनेके लिए तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जुलाई 1991 को इस समिति की नियुक्ति की गयी | इस समिति ने 1986 की शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर जनवरी, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा की इस शिक्षा नीति में बहुत साधारण संशोधन की आवश्यकता है|

  इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा को वैकल्पिक साधन के रूप में स्वीकार किया | पाठ्यक्रम को संशोधित कर पाठ्यपुस्तके तैयार करनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कों बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त विद्यालयों खोलना चाहिए| 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' का विस्तार करना तथा विद्यालयों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए | शिक्षा में सामाजिक न्याय और समानता के लिए महिला शिक्षा, अनुसूचित जातिजनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए | आदि ऐसे साधारण संशोधन उन्होंने बताए |

संक्षेप में जनार्दन समिति ने साफ तोर पे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति1986 में परिवर्तन करने की जरुरत नहीं है, बस इसे निष्ठापूर्वक लागू करने की आवश्यकता उन्होंने जताई|

- **यशपाल शिक्षा समिति (1993)** – राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 की कार्य-योजना (Program Of Action – POA) की समीक्षा करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कर प्रो. यशपाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया | इस समिति का काम बच्चों के 'विद्यालयीन बस्ते का भार को कम करने' पर ही केन्द्रित था | इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई, 1993 में मानव संसाधन मन्त्रालय को सौंपी |

  समिति ने प्राथमिक शिक्षा को सामूहिक क्रियाओं जोड़ कर एवं शैक्षिक उपलब्धियों को महत्त्व दिया | पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जाए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गृहकार्य नहीं देना | शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 से कम करके 1:30 किया जाए, शिक्षण विधियों को छात्र केन्द्रित बनाना, शिक्षा में सामान्य भाषा का उपयोग किया जाए |

  संक्षेप में यशपाल समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के संसाधन, शिक्षण क्रियायों को बच्चों की अपेक्षा कठिन न बनाकर बच्चों के अनुरूप बनाने पर बल दिया |

- **शिक्षा का अधिकार विधेयक (2005) –** संयुक्त राष्ट्र में शिक्षा यह सभी मानव का अधिकार है, इस बात को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने पर भारत ने भी 2005 में संसद के शीतकालीन सत्र में 'शिक्षा का अधिकार विधेयक' प्रस्तुत किया गया | इस विधेयक पर विचार-विमर्श होकर इसकों पांच भागों में रखा गया |

  पहले भाग में बच्चों के बस्ते का बोझ हलका करके शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय व्यवस्था मजबूत बनाने पर बल दिया गया | दूसरे भाग में बच्चों को शिक्षा देते समय क्रियाशील कार्यक्रम, अध्यापन में चर्चा विधि का उपयोग, बच्चों की शंका तथा प्रश्नों का समाधान करने पर बल, जिससें बच्चों को खुद के कार्य का निरिक्षण तथा चिंतन करने को बढ़ावा मिलेगा | स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का नि ही हो | तीसरे भाग में स्थानीय लोगों की भाषा का अस्तित्व अबाधित रखने के लिए शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का

उपयोग, आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी भाषाओं का उपयोग करके विज्ञान सामाजिक विज्ञान, कार्यानुभव, कला आदि विषयों में चर्चा करना |

चौथे भाग में बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने के लिए स्थानीक समुदाय व अभिभावकों के ज्ञान तथा अनुभव को शिक्षण क्रियाओं में जोड़ना| शिक्षकों की अध्यापन विधि में सुधार करने के लिए विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना | पांचवे भाग में परीक्षा को गैर मार्ग से दूर रखकर, पारदर्शीता, तनाव रहित तथा आसान तरीकों से लेना | इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित बातों का ध्यान रखा गया था |

- **बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का कानून (2009)** – प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है | जिस राष्ट्र के बच्चें विद्यालय शिक्षा तक पहुँच नहीं पाते उन्हें प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाकर एक सर्जनशील, प्रतिभावान नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करना होता है | समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बदलते परिवेश में कानून के द्वारा शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना ज़रूरी होता है| इसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने बच्चों के लिए शिक्षा को मूलभूत अधिकार का दर्जा देने हेतू भारतीय संविधान में 93 संविधान संशोधन के द्वारा कलम 21 (अ) में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए 'बालक का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009' पास करके उसे पूरे राष्ट्र में 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावित कर दिया |

इस कानून के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव करके शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने की दृष्टि का आभास होता है | इनमें शिक्षा की प्रक्रिया छात्र केन्द्रित, क्रियाशील तथा आनंद मयी होगी | प्रत्येक बालक को उनकें आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा | शिक्षा का सर्वकष मुल्यांकन, कक्षा आठवी तक किसी परिक्षा का बोझ नहीं होगा | सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा समान तथा गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, विद्यालय में कक्षा-कक्ष की उपलब्धता, स्वच्छता घर, पीने योग्य पानी, खेल के लिए मैदान उपलब्ध कराना | इसके साथ ही प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा शत: प्रतिशत उपलब्ध कराने का लक्ष्य, पाठ्यक्रम-पाठ्यसामग्री, आसान मूल्याकंन आदि इस प्रकार के बदलाव किए गए है |

संक्षेप में बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के द्वारा प्राथमिक शिक्षा लेने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है | बच्चों को पड़ोसी विद्यालय में दाखिला मिलना, विद्यालय से पलायन करने वाले बच्चों का प्रतिशत शून्य करने का लक्ष्य | इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक बदल होने से समाज में शत प्रतिशत शिक्षित नागरिकों से अपेक्षित बदलाव देखने को मिलेंगे | इस कानून के माध्यम से संविधान में शिक्षा को नागरिकों कामूलभूत अधिकारों का दर्जा प्राप्त हुआ है |

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत पुरानी समस्या रही है | इतिहास के प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक सत्ता संघर्ष के अलग-अलग शासन काल में प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व बार-बार दोहराया गया है | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक शिक्षा आयोग, समितियों तथा अन्य रिपोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण विचार निकलकर सामने आया वह, प्राथमिक शिक्षा को केवल अगली पढ़ाई के लिए तैयारी, सिर्फ़ साक्षरता न मानकर मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो ज्ञान, जानकारी तथा कुशलता चाहिए उसे प्राप्त करने का साधन केवल शिक्षा ही है | समितियों, आयोगों ने जो सुझाव प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में पेश किए उसे क्रियान्वित करने के उपरान्त हम पाते है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है | गावों, दूरस्दराज के क्षेत्रों, कस्बों में विद्यालयों को खोल दिया है, शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विविधता आदि से सभी क्षेत्रों में कई गुणी वृद्धि दर्ज की जाने लगी है | प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसे अनेकों संसाधनों को जुटाया कर शिक्षा की प्रक्रियाओं को गतिमान किया जा रहा है | आज करोड़ो बच्चें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए है |

लेकिन फिर भी वर्तमान परिपेक्ष्य में बड़ी गहनता से विचार करे तो पाते है कि शिक्षा आज भी उन बच्चों से कोसों दूर ही लगती है | अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कार्यान्वित करने हेतु बड़ी आशा के साथ शिक्षा का अधिकार कानून को बनाया गया है | फिर भी बड़ी दु:ख की बात हैकी आज भी हमारे देश में सरकारी आँकड़ो के मुताबिक अभी भी अस्सी लाख बच्चों को विद्यालय से बहार रहना पड़ता है | ग़ैर-सरकारी आँकड़ों के अनुसार यह संख्या इससे ज्यादा है | देश के अलग-अलग हिस्सों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को सड़कों पर भीख मांगते, ढाबों, खानों-खदानों पर काम करते देखा जा सकता है |

दूरस्दराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से विद्यालय खुलते ही नहीं चलना तो दूर की बाँत है| इन सब परिस्थितियों में शिक्षा पाने की मनीषा रखने वाले बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित है| उन्हें शिक्षा के दायरे में लाकर उन्हें प्राथमिक विद्यालयीन शिक्षा में शामिल करना हम सब का संविधानिक कर्तव्य है|

1.1.3 प्राथमिक शिक्षा तथा संविधानिक प्रावधान–

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्यात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने26 नवम्बर, 1949 को संविधान को राष्ट्र को सुपुर्द करके, पहले तत्कालीन सरकारने उसे 26 जनवरी, 1950 से राष्ट्र को लागू कर दिया | भारतीय संविधान के नीति निर्माताओं ने स्वतंत्र राष्ट्र में कुशल लोकतंत्रअच्छे नागरिकों को तैयार करने के लिए, मजबूत राष्ट्र निर्माण तथा विकास के लिए शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा के महत्त्व को पहँचाना था | उन्होंने इसे राज्य के नीति निर्देशक अधिनियमों के अनुच्छेद 45 में नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा को दर्शाते हुए लिखा "राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने की दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों के लिए जब तक की वे चौदाह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, नि:शुल्क एवं अन्विार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा"| अनुच्छेद 46 यह समाज के उन दुर्बल वर्गों के शिक्षा के प्रति संरक्षण प्रदान करने की बात करता है, "राज्य यह दुर्बल जनवर्ग और विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक व आर्थिकतौर पर संवर्धन करेगा और किसी भी प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवस्था से संरक्षण प्रदान करेगा"|

भारतीय संविधान के भाग- तीन में अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है | इसमें सामान्यजन भारतीयों को मिले मूल अधिकारों में 'शिक्षा का अधिकार' को मूल रूप देने के लिए 86 संविधान संशोधन करके भाग- तीन में एक नई धारा- 21(ए) जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया, यह अनुच्छेद 21(ए) कहता है कि "कानून, संकल्प द्वारा, राज्य अपने अनुरूप छह से चौदाह वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा"| प्राथमिक स्तर पर भाषिक अल्पसंख्यक के बच्चों को मातृभाषाओं में शिक्षा उपलब्ध करानेके सन्दर्भ में अनुच्छेद 350 कहता है, "प्रत्येक राज्य और राज्य के स्थानीय निकाय भाषिक अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराएगे और इस तरह की सुविधाए उपलब्ध कराये जाने हेतु खुद राष्ट्रपति जब उन्हकों लगे तब किसी भी राज्य

को निर्देश देंगे"| प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को सम्मिलित करने का उत्तरदायित्व माता-पिता पर छोड़ते हुए संविधान के भाग-4 के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51ए (के) में कहा गया है की "छह से चौदाह वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के माता-पिता या अभिभावक, अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे"| यह मूल कर्तव्य प्रत्येक भारतीय अभिभावकों का होंगा | सरकार इस उपयुक्त कानूनऔर अधिनियम के प्रति वचनबद्ध होने के नाते आवश्यक कदम उठाए जा रही है |

शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा के प्रति अनुच्छेद 28(ए) में साफ निर्देश देती है कि "पूर्णत: राज्य द्वारा चलाए जानेवाले शैक्षिक संस्थाओ में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी"| अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक तथा भाषा के हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 (ए) कहता है "भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र में रहनेवाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति संरक्षण करने का अधिकार देता है"| अनुच्छेद 30(ए) में "अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का पूर्ण अधिकारहोगा"|

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जनता की आवश्कता के अनुरूप निर्माणाधीन राष्ट्र के लिए शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने की लिए 'शिक्षा को दस साल के भीतर' पूरा करने की समय सीमा बाँधकर इस सन्दर्भ में संविधानिक प्रावधान किए थे | लेकिन संविधानिक आदेशों की पूर्ति के लिए सरकारों ने शिक्षा कार्यक्रम की इमानदारकोशिश नहीं करने कारण अभी तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना आज भी एक सपना सा लगता है |

1.1.4 सर्व शिक्षा अभियान* -

हम सभी जानते हैं कि विश्व से स्थायी रूप से गरीबी को दूर करने और शांति एवं सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के सभी देशों के नागरिकों एवं उसके परिवारों को अपनी पसंद के जीवन जीने का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जाए। इस लक्ष्य को पाना तभी संभव है, जब दुनियाभर के बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा इसी माध्यम से उच्च स्तरीय विद्यालयीन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए| तभी जाकर सभी व्यक्ति को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार मिलेगा। लेकिन दुनियाभर के बहुत सारेबच्चें इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैयानहीं कराये जा रहे है।

अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में अक्टूबर, 1998 में संपन्न हुए राज्यों की 'शिक्षा मंत्रियों के सम्मलेन' की सिफारिशों के आधार पर हि 'सर्व शिक्षा अभियान' नामक योजना तैयार की गयी, जिसमें सभी तरह के बच्चों को विद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध कराने का प्राथमिक लक्ष्य रखा गया | इस सम्मलेन में कहा गया की 'सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को मिशन के रूप में पूरा किया जाना चाहिए |' ऐसे महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के क्रियान्वयन की घोषणा तथा इसके वित्तीय प्रावधान के लिए केन्द्र की सरकार द्वारा 98,000 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था करके, नवंबर, 2000 से इसे लागू भी कर दिया गया | सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को ठोस आधार प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का संविधानिक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर संविधान में संशोधन भी करवाया गया | सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने की योजना है। इसके लिए विद्यालय प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपना कर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गयी है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान में कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करने की संभावना व्यक्त की गयी थी | उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न रूप में–

1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा वर्ष 2010 तक देने की समुचित व्यवस्था करना |
2. सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के द्वारा वर्ष 2010 की समाप्ति तक उपयोगी एवं समुचित गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करना|
3. बालक और बालिकाओं के मध्य शैक्षिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के सन्दर्भ में सभी व्यवस्थाए वर्ष 2010 तक सुनिश्चित करना |

4. 6 से 11 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक प्रदान करना |
5. 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 8 तक की उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा वर्ष 2010 तक पूर्ण करना |
6. प्रारम्भिक स्तर पर सभी बच्चों को जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक, समाज उपयोगी समुचित गुणस्तर की शिक्षा व्यवस्था करना|
7. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की (कक्षा 8 तक की) शिक्षा पूर्ण होने तक प्रत्येक दशा में सभी बच्चों को विद्यालय में अध्ययनरत रखना |
8. विशिष्ट आवश्कता वाले सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक 'विद्यालय शिक्षा गारंटी केन्द्र' की सुविधा उपलब्ध कराना|
9. ऐसे सभी बच्चों को जो विद्यालय से पलायन कर गए, उन्हें वर्ष 2003 तक वैकल्पिक विद्यालय के 'बैक टू स्कूल' शिबिर की उपलब्धता कराना |
10. प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा ढ़ाचे का समुचित प्रकार से उपयोग करते हुए इसी अभियान के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयासों को एक सूत्र में बांधते हुए इसे अधिक क्रियाशील बनाना |

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलजुल कर प्रयास करना निर्धारित किया गया| इस अभियान के निर्धारित उद्देश्यों को निर्धारित समयावधि में सफलता प्राप्ति के लिए स्थानीय त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करसहयोग प्राप्त किया जा रहा है |

सर्व शिक्षा अभियान का कार्य क्षेत्र

सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले सभी बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य

सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख से अधिक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी विद्यालयीन सुविधा नहीं है, वहाँ नये विद्यालय खोलना और विद्यमान विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूमों (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, विद्यालय सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाए जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है, वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा, जरूरतमंद बच्चों और सामाजिक तौर पर कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कम्प्यूटर विहीन लोगों के बीच अन्तराल को पाटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की योजना है|

अभियान की वित्तीय भागीदारी

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतू वित्त पोषण की व्यवस्था के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85:15, दसवीं योजना में 75:25 तथा उसके बाद यह 50:50 की होगी। लागत को वहन करने की वचनबद्धता राज्य सरकारों से लिखित रूप में ली जाएगी। राज्य सरकारों को वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भिक शिक्षा में किए जा रहे निवेश को बरकरार रखना होगा तथा सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों का अंश इस निवेश के अतिरिक्त होगा। भारत सरकार, राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को ही सीधे निधियां जारी करेगी तथा राज्य सरकार के हिस्से की कम से कम 50 प्रतिशत राशि राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को अंतरित करने तथा इस राशि के व्यय के बाद ही केन्द्र सरकार अगली किश्त जारी करेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त किए गए शिक्षकों के वेतन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85:15 के अनुपात में, दसवीं योजना अवधि के दौरान 75:25 के अनुपात में तथा इसके बाद 50:50 के अनुपात में होगी । बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में किए गए सभी विधिक समझौते लागू रहेंगेजब तक कि विदेशी निधियां प्रदान करने वाली एजेंसी से विचार-विमर्श करके इसमें कोई विशिष्ट संशोधन करने पर सहमति नहीं हो जाती । विभाग की मौजूदा योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के अलावा नौवीं योजना में मिला दी जाएंगी । प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम योजना (मध्याह्न भोजन योजना) एक विशिष्ट योजना के रूप में कायम रहेगी जिसमें खाद्यान्न एवं यातायात की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा भोजन पकाने की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

जिला शिक्षा योजना अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सांसद/विधायक के लिए क्षेत्रीय निधियां, राज्य योजना जैसी योजनाएं तथा विदेशी निधियां तथा गैर सरकारी क्षेत्र में जुटाए गए संसाधन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों से निधी/संसाधन उपलब्ध किए जाते हैं । विद्यालयों के स्तर में वृद्धि, रखरखाव, मरम्मत तथा अध्ययन-अध्यापन उपस्करों तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी निधियां ग्रामीण शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। अन्य प्रोत्साहन योजनाओं, जैसे छात्रवृतियां तथा वर्दियां(विद्यालय ड्रेस) प्रदान करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत निधियां जारी की जाती रहेंगी । इन्हें सर्व शिक्षा अभियान से निधियां नहीं दी जाएंगी ।

संक्षेप में सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है, कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्त पोषण सतत् जारी रखा जाए । केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता पर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा है।

अभियान में मध्यस्थता के प्रतिमानक

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य मध्यस्थता के मुख्य प्रतिमानकनिम्न प्रकार के हैं-

1. शिक्षक : प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 रहेगा |

प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक निश्चित किया है।

2. स्कूल/वैकल्पिक स्कूली सुविधा: प्रत्येक बालक के निवास स्थान/घर से एक किलोमीटर के भीतर विद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य मानक के अनुसार और नये विद्यालयों को खोलने या उन गाँवों या अधिवास क्षेत्रों में ई.जी.एस. के समान विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।

3. उच्च प्राथमिक शिक्षा/क्षेत्र : आवश्यकता के अनुरूप, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे बच्चों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना।

4. अध्ययन कक्ष (क्लास रूम) : प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए एक कक्ष, जो भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में नीचे हों, वहाँ इस प्रावधान के साथ कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदा सहित दो कक्ष के साथ दो शिक्षक का प्रावधान हों। उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेड मास्टर के लिए एक अलग कक्ष का प्रावधान|

5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तके: प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी लड़कियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के लिए राज्यों द्वारा दी जा रही निधिवर्तमान में राज्य योजना के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि कोई राज्य प्रारंभिक वर्गों में बच्चों की दी जाने वाली पाठ्यपुस्तक के मूल्य पर आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दे रही है तो ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों द्वारा वहन की जा रही राशि का भाग, राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देय नहीं होगा।

6. निर्माण कार्य : पीएबी द्वारा प्रत्यक्ष परियोजना के आधार पर, पूरी परियोजना अवधि वर्ष 2010 तक के लिए स्वीकृत निधि के अनुसार, निर्माण कार्य के लिए कार्यक्रम निधि पूरी परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। 33 प्रतिशत की इस सीमा में, भवन के मरम्मत व देखभाल पर

होने वाला खर्च शामिल नहीं होगा। हालांकि, किसी खास वर्ष में वार्षिक योजना के 40 प्रतिशत तक निर्माण कार्य के लिए स्वीकार किया जा सकता, बशर्ते कि उस वर्ष कार्यक्रम के विभिन्न घटक को पूरा करने के लिए खर्च निर्धारित किया गया हो। लेकिन यह खर्च पूरी परियोजना के 33 प्रतिशत के सीमा के अंतर्गत होगी। विद्यालय सुविधा में सुधार, प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र के निर्माण के लिए, टोला संसाधन केन्द्र का उपयोग अतिरिक्त कक्ष के रूप में किया जा सकता है। कार्यालय भवन के निर्माण पर होने वाले किसी खर्च का वहन नहीं किया जाएगा। जिला, आधारभूत संरचना का योजना तैयार करेगी।

7. विद्यालय भवन की देखभाल एवं मरम्मत : केवल विद्यालय प्रबंधन समिति/ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय भवन की देखभाल एवं मरम्मत का प्रावधान। विद्यालय समिति के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रति वर्ष 5 हजार रुपये तक का खर्च करेगी। सामुदायिक सहायता के तत्व अवश्य शामिल हों। भवन की देखभाल और मरम्मत पर की गई खर्च को, सिविल कार्य के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत की सीमा रेखा के भीतर गणना करते समय, शामिल नहीं की जाएगी। निधि केवल उन विद्यालयों को हि उपलब्ध होगा जिनका तत्समय अपना विद्यालय भवन उपलब्ध हों।

8. विद्यालय का उन्नयन /स्थापना : राज्य प्रतिमानक के अनुसार ईजीएस का नियमित विद्यालयों में उन्नयन या नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रति विद्यालय 10 हजार रुपये की दर से टीएलई का प्रावधान। स्थानीय सन्दर्भ एवं जरूरत के अनुसार टीएलई। टीएलई का चयन एवं अर्जन में शिक्षक एवं अभिभावक की संलग्नता जरूरी। अर्जन के सर्वश्रेष्ठ तरीका का निर्णय ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय-ग्राम स्तरीय वैध निकाय निर्णय लेगी। ईजीएस केन्द्र के उन्नयन से पहले उसका दो वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य संचालन जरूरी। शिक्षक और कक्ष के लिए प्रावधान।

9. उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए टीएलई : उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, 50 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से टीएलई के लिए वित्त प्रावधान। स्थान विशेष के जरूरत के अनुरूप टीएलई खरीदना, जिसका निर्धारण शिक्षक/विद्यालय समिति करेगी। विद्यालय समिति, शिक्षकों के परामर्श से

अर्जन के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का निर्णय करेगी। यदि वित्तीय लाभ हो तो विद्यालय समिति, जिला स्तरीय अर्जन की सिफारिश कर सकती है।

10. विद्यालय निधि : अकार्यशील विद्यालयीन उपकरण को बदलने के लिए, प्रति वर्ष 2 हजार रुपये की दर से प्रत्येक प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रावधान। उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतू केवल ग्राम शिक्षा समिति / एस.एम.सी. के द्वारा खर्च की अनुमति।

11. शिक्षक निधि : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष, प्रति शिक्षक 500 रुपये का प्रावधान यह शिक्षण-प्रवीणता सामग्री बनाने के लिए उपलब्ध होगी तथा इसका उपयोग पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।

12. शिक्षक प्रशिक्षण : प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षक के लिए 20 दिन का सेवाकाल पाठ्यक्रम का प्रावधान, पहले से ही नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और नये प्रशिक्षित नियुक्त शिक्षक के लिए 30 दिन का 70 रुपये की दर से अभिसंस्करण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम। इकाई लागत सूचक है, जो गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम होगा। सभी प्रशिक्षण लागत शामिल होगा। मूल्य निरूपण के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण के लिए क्षमता का मूल्यांकन, विस्तार के सीमा का निर्धारण करेगी । वर्तमान शिक्षक शिक्षा योजना के तहत एस.सी.ई.आर.टी/डी.आई.ई.टी के लिए सहायता।

13. राज्य शैक्षिक संस्थान : प्रबंधन एवं प्रशिक्षण (एस.आई.ई.एम.ए.टी) के लिए 3 करोड़ रुपये तक एक बार सहायता का प्रावधान। राज्यों का, संस्थान को बनाए रखने/उसे सुस्थिर रखने पर, सहमत होना जरूरी। विषय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया/शर्तें कठोर होंगी।

14. जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण : साल में 2 दिन गाँव के अधिकतम 8 लोगों (महिलाओं को

प्राथमिकता) को शिक्षा के सन्दर्भ में जानकारी तथा प्रशिक्षण का प्रावधान। प्रति व्यक्ति 30 रुपये प्रति दिन की दर से खर्च किया जाएगा।

15. विकलांगों के लिए प्रावधान : विशेष प्रस्ताव के अनुसार, विकलांग बच्चों को शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए प्रति वर्ष 1200 रुपये तक प्रति बच्चे खर्च का प्रावधान। 1200 रुपये प्रति बच्चे के प्रतिमानक के तहत, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों के लिए जिला योजना संसाधन संस्थान की संलग्नता को बढ़ावा दिया जाएगा।

16. शोध, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं संचालन : प्रति वर्ष, प्रत्येक विद्यालय को 1500 रुपये तक का प्रावधान। शोध एवं संसाधन संस्थान के साथ सहभागिता, राज्य विशेष पर जोर के साथ संसाधन टीम का संघ निर्माण करना। संसाधन/शोध संस्थान के माध्यम से मूल्य निर्धारण और निरीक्षण के लिए और प्रभावी ई.एम.आई.एस. के लिए क्षमता विकास को प्राथमिकता। परिवार संबंधी आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए नियमित विद्यालय चित्रण/ लघु आयोजना का प्रावधान। संसाधन व्यक्ति का संघ का निर्माण कर, संसाधन व्यक्ति द्वारा किए गए निरीक्षण (मॉनिटरींग), समुदाय आधारित आँकड़े का निर्माण, शोध अध्ययन, मूल्याँकन लागत और मूल्य निर्धारण की शर्तें, उनके क्षेत्र गतिविधियाँ और कक्षा निरीक्षण के लिए यात्रा भत्ता और मानदेय का प्रावधान। मध्यस्थता प्रतिमानक संपूर्ण रूप से प्रतिविद्याल के लिए आवंटित बजट के आधार पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप जिला एवं विद्यालय स्तरीय खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति विद्यालय प्रत्येक वर्ष 100 रुपये खर्च किया जाएगा। राज्य/जिला/प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र/विद्यालय स्तरीय खर्च का निर्धारण राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इसमें मूल्य के निर्धारण, निरीक्षण, एम.आई.एस., कक्षा निरीक्षण आदि का खर्च भी शामिल होगा। शिक्षक शिक्षा योजना के तहत, एस.सी.ई.आर.टी को प्रस्ताव के बराबर और अधिक सहायता भी प्रदान किया जा सकता है। राज्य विशेष में जिम्मेदारी लेने को तैयार संसाधन संस्थान को शामिल करना।

17. प्रबंधन लागत : जिला योजना के बजट के 6 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन लागत नहीं। इसमें कार्यालय खर्च, कार्यरत मानवशक्ति, पी.ओ.एल. आदि के मूल्यांकन के बाद विभिन्न स्तर पर विशेषज्ञों

की भर्ती आदि का खर्च इसमें शामिल। एम.आई.एस., सामुदायिक योजना प्रक्रिया, निर्माण कार्य, लिंग आदि के विशेषज्ञों को प्राथमिकता। खास जिला में उपलब्ध क्षमता पर निर्भर प्रबंधन लागत का उपयोग राज्य / जिला/ प्रखंड / टोला स्तर पर प्रभावी टीम के विकास पर किया जाना चाहिए। पूर्व परियोजना चरण में ही प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र के लिए कार्मिकों के पहचान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वृहद् प्रक्रिया आधारित आयोजना के लिए टीम उपलब्ध हो|

18. बालिका शिक्षा, प्रारंभिक बाल देखभाल व शिक्षा : अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक कंप्यूटर शिक्षा के लिए नवीन गतिविधि/कार्य। प्रत्येक नवीन परियोजना के लिए 15 लाख रुपये तक और जिला के लिए प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपये का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान पर लागू होगा। आरंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) और बालिका शिक्षा मध्यस्थता के लिए ईकाई लागत पहले से ही चल रही योजना के अंतर्गत स्वीकृत है।

19. प्रखंड/टोला संसाधन केन्द्र : सामान्यतया प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंड में एक प्रखंड संसाधन केन्द्र होगा। फिर भी, ऐसे राज्य जहाँ शैक्षिक प्रखंड या अंचल के समान उप जिला शैक्षिक प्रशासनिक संरचना के क्षेत्राधिकार की सीमा, सामुदायिक विकास प्रखंड से मेल नहीं खाती हो, तो राज्य उस उप जिला शैक्षिक प्रशासन इकाई में प्रखंड संसाधन केन्द्र का प्रावधान कर सकता है। हालाँकि, वैसी स्थिति में, सामुदायिक विकास प्रखंड में प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र पर होने वाले पूरे खर्च, आवर्तक एवं अनावर्तक दोनों, उस सामुदायिक विकास प्रखंड में एक प्रखंड संसाधन केन्द्र खोले जाने के लिए स्वीकृत बजट से अधिक नहीं होगा। जहाँ तक संभव हो प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र विद्यालय प्रांगण में स्थित होंगे। जहाँ जरूरी हो प्रखंड संसाधन केन्द्र भवन निर्माण के लिए 6 लाख की सहायता। जहाँ जरूरी हो टोला संसाधन केन्द्र भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपये। इस भवन का उपयोग विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष के रूप में किया जाना चाहिए। किसी भी वर्ष में, किसी भी जिले में, कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रस्तावित खर्च का 5 प्रतिशत से अधिक, गैर विद्यालय (प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र) निर्माण पर खर्च नहीं होना चाहिए।

- प्रखंड के 100 से अधिक विद्यालयों में 20 शिक्षकों की तैनाती, छोटे प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र में 10 शिक्षक एक साथ रखे जाएंगे।
- प्रत्येक प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए कुर्सी आदि के लिए 1 लाख रुपये तथा टोला संसाधन केन्द्र के लिए 10 हजार रुपये का प्रावधान।
- प्रतिवर्ष प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए 12,500 रुपये तथा टोला संसाधन केन्द्र के लिए 2500 रुपये की आकस्मिक निधि।
- बैठक व यात्रा भत्ता हेतु प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए 500 रुपये व टोला संसाधन केन्द्र के लिए 200 रुपये प्रतिमाह।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए 5 हजार रुपये व टोला संसाधन केन्द्र के लिए 1 हजार रुपये प्रति वर्ष शिक्षण प्रवीणता सामग्री (टी.एल.एम.) के लिए निधि का प्रावधान।
- प्रारंभिक चरण में ही गहन चयन प्रक्रिया के बाद प्रखंड संसाधन केन्द्र/टोला संसाधन केन्द्र कार्मिक की पहचान।

20. विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए मध्यस्थता : शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व नवाचार शिक्षा के अंतर्गत पहले से स्वीकृत प्रतिमानक के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के लिए मध्यस्थता प्रदान किए जा रहे हैं दूरस्दराज में स्थित निवासों या क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी केन्द्र की स्थापना। अन्य वैकल्पिक स्कूली ढाँचा की स्थापना करना। विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे को नियमित विद्यालय की ओर लाने का मुख्य लक्ष्य बनाकर ब्रिज पाठ्यक्रम, उपचारी पाठ्यक्रम, बैक टू विद्यालय कैम्प का आयोजन का प्रावधान।

21. लघु आयोजन/गतिविधियाँ : घर सर्वेक्षण, अध्ययन, सामुदायिक गतिशीलता, विद्यालय आधारित गतिविधियाँ, कार्यालय उपकरण, प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन कार्य के लिए सभी स्तर पर प्रारंभिक गतिविधियाँ। जिला के विशेष प्रस्ताव के अनुसार, उसके लिए राज्य सिफारिश भेजेगी। शहरी

क्षेत्र में, जिले के भीतर या महानगरीय क्षेत्र को जरूरत के मुताबिक आयोजना के लिए एक अलग ईकाई के रूप में माना जाएगा |

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तता युक्त प्रांरभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही सामाजिक विषमता तथा लिंग भेद को भी दूर करना है। उक्त सभी मुद्दे समुदाय से जुड़ें है। यानी समुदाय को उस बारे में बताये बिना तथा उन्हें कार्यक्रम से जोड़े बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता की अनिवार्यता को जोरदार ढंग से रखा गया है।

इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसमें प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्वामित्व समुदाय के पास हो तथा इन विद्यालयों को कुछ हद तक पंचायतों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी इसमें कई व्यवस्था की गई है| प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का गठन एक ऐसी ही व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान में कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रबंधकीय ढाँचा के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इस विकेन्द्रीकृत प्रबंधकीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम समिति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर गठित एक छोटा संगठनात्मक ईकाई है जो खासकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रति समर्पित है। यह समिति 15 या 21 सदस्यों का एक संगठन है जिसका गठन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक कक्षा युक्त मध्य विद्यालय के लिए किया जाता है। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही इस समिति के पदेन सचिव होते हैं।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम – 2009 का लागू करने के बाद में समुदाय की सहभागिता को ज्यादा तौर पर उपयोग में लाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारने ग्राम शिक्षा समिति के गठन में बदलाव किए है | क्योंकि शिक्षा यह विषय समवर्ती सूची में होने के कारण हर राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते है|

महाराष्ट्र सरकारने ने 'महाराष्ट्र शिक्षा अधिकार अधिनियम' 2011 के नियम 13 के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के 75 प्रतिशत सदस्य यह विद्यार्थीयों के अभिभावक या पालक होने चाहिए | विद्यालय का मुख्याध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति का पदेन सदस्य सचिव रहेगा | वंचित वर्ग के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो | ग्राम शिक्षा समिति के 25 प्रतिशत में स्थानीय प्रशासन का एक सदस्य, शिक्षा के विषय में रूचि रखनेवाले एक विशेषज्ञ को सम्मिलित करना चाहिए |

ग्राम शिक्षा समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व और विद्यालय से दो विद्यार्थीओं का प्रतिनिधित्व हो जिसमें कम से कम एक लड़की का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है | विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए |

ग्राम शिक्षा समिति का उद्देश्य:

प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एक व्यापक लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण आवश्यक है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक कक्षा सहित मध्य विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन एक ऐसा उपाय है जो जनभागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण के लक्ष्य को पूरा करेगी। इसके अलावा ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- गाँव में प्राथमिक शिक्षा के विकास से अभिरुचि रखने वाले समर्पित एवं समय देने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल होने का अवसर देना।
- सम्बन्धित विद्यालय के संस्थागत चरित्र को उभारकर शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि स्तर को अनवरत बनाए रखना।
- समुदाय के अभिवंचित वर्गों यथा- महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मजदूर, किसान, पिछड़ों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ना ताकि साझा हितों की रक्षा के लिए उन्हें भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण करने की दिशा में अपने गाँव के विद्यालय के विकास हेतु हर संभव कार्य सम्पन्न कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग के बिना सार्वजनीकरण

के लक्ष्य को कतई प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने गाँव,समाज एवं परिवार के विकास की जड़ शिक्षा में ही हैं। अत: शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाकर राष्ट्रीय हित के इतने महान कार्य को सम्पन्न करने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को ही प्राप्त है। जैसे-

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चे-बच्चियों का नामांकन विद्यालय में करना।
- सभी नामांकित बच्चे-बच्चियों को विद्यालय में बनाए रखना, इसके लिए सभी संभव प्रयास करना, उपलब्धि स्तर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।
- बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आ रहें हैं या नहीं, इसका देखभाल नियमित रूप से करना। इसके लिए प्रति दिन ग्राम शिक्षा समिति के दो अलग अलग सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपना अच्छा है। उसके ऊपर भी अध्यक्ष एवं सचिव निगरानी रखें और अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाकर उसका निदान खोजें|
- माता शिक्षक समिति/अभिवाक शिक्षक समिति का गठन किया जाए ताकि ग्राम शिक्षा समिति के कार्यो में मदद मिल सके।
- विद्यालय प्रबंधन में भागीदारी निभाना। मुफ्त पाठ्यपुस्तक के वितरण की अच्छी तरह देखभाल करना। गाँव के दुर्बल एवं अपंग बच्चों का नामांकन करवाना|
- विद्यालय में अच्छी पढ़ाई प्रतिदिन सुचारु ढंग से चले इसके लिए हर संभव व्यवस्था करना विद्यालय में मिल-जुलकर समारोह आयोजन करना|
- ग्राम शिक्षा समिति के निर्णयों के आलोक में विद्यालय कोष का संचालन करना|
- विद्यालय विकास एवं शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए हरसंभव वित्तीय एवं गैर वित्तीय उपायों को सम्पादित करना ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण एवं इसका क्रियान्वयन करना आदि।

संक्षेप में ग्राम शिक्षा समिति का गठन एक ऐसा उपाय है जो जनभागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण के लक्ष्य को पूरा करेगी तथा इसके साथ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण कराने में समुदाय का उचित सहयोग मिलने की दशा में सर्व शिक्षा अभियान नामक विशाल कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूराहो सकेगा|

1.2 शोध का महत्त्व -

प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन वर्त्तमान युग की प्रथम आवश्कता बन गयी है| राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना राष्ट्र के विकास का आधार होता है| भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए इस दिशा में कई प्रयास भी प्रांरभ कर दिए गए थे| इसी मार्ग क्रम पर 'सर्व शिक्षा अभियान' भी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाता है| प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं विभिन्न सर्वेक्षणों व शोध अध्ययनों के द्वारा प्रकाश में लायी जाती रही है, उनमें से अनेक सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में भी सामने आ रही है | कार्यान्वयन के परिणाम, विभिन्न रिपोर्ट व सुचनाओं के अनुसार कही संतोषजनक है तो कही असंतोषजनक्अत: इसी कों मद्देनजर रखते हुए शोधकर्ता ने प्रस्तुत विषय का शोध अध्ययन के लिए चयन किया है|

वर्धा जिले में चलाये जा रहे 'सर्व शिक्षा अभियान' की क्या परिणामकारकता रही है | इस अभियान के द्वारा विभिन्य उपक्रमों में किस प्रकार की आर्थिक अनुदान की उपलब्धता की स्थिति क्या रही है | छात्रों के नामांकन में किस प्रकार बदलाव आया तथा विद्यालय से पलायन की दर कैसी थी, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संवर्धन में शिक्षण सहायक सामग्री (TLM) की उपयोगिता तथा सर्व शिक्षा अभियान से किस प्रकार लोगों की शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता कितनी बनी है, यह जानना जरुरी है | इसलिए वर्धा जिले में सर्व शिक्षा अभियान की क्या स्थिति रही है, यह जानने की जिज्ञासा शोधकर्ता के मन में उभरी है | इस प्रकार का शोध अध्ययन अभी तक वर्धा जिले के सन्दर्भ में नहीं हुआ है, इसी कारण प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व अपने आप बनता है|

1.3 शोध का औचित्य -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान का विश्लेषण किया है, क्योंकि वर्धा जिले में इस अभियान की क्या प्रासंगिकता रही? जिस तरह पूरे देश भर में सर्व शिक्षा अभियान सफल रहने की बात सरकार के द्वारा की जाती है, क्या वर्धा जिले में भी यह प्राथमिक शिक्षा के दृष्टी से क्या सफल रहा | यह जानने की शोधकर्ता को आवश्यकता महसूस हूई| विद्यालय में सभी स्तर के छात्रों का नामांकन हुआ तथा विद्यालय से छात्रों की पलायन दर की क्या स्थिति रही | सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शैक्षिक स्थिति कैसी थी| शिक्षकों के

प्रशिक्षण से पाठ्यक्रम संवर्धन क्या बदलाव हुए यह जानने की आवश्यकता, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा प्राप्त आर्थिक अनुदान की उपलब्धता इस अभियान के अलग-अलग उपक्रमों में किस प्रकार वार्षिक स्थिति रही यह जानने का औचित्य शोध कर्ता हुआ | इसलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन का चयन शोध कार्य के लिए किया गया है |

1.4 समस्या कथन -

"सर्व शिक्षा अभियान का आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विश्लेषण - वर्धा जिले के सन्दर्भ में"

1.5 पारिभाषिक शब्दावली -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शब्दो का प्रयोग किया है, उनकी परिभाषा शोधकर्ता द्वारा निम्नाकित रूप में की गई है |

- **सर्व शिक्षा अभियान -**

  सर्व शिक्षा अभियान से अभिप्राय यह है कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक एवं नि:शुल्क शिक्षा देने हेतु उनका नामांकन करना तथा उन्हें सन 2010 तक कक्षा 8 की शिक्षा मे सम्मिलित करवाना |

- **आर्थिक विश्लेषण -**

  सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को मिलने वाला अनुदान, शिक्षकों को मिलने वाले अनुदान का आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना ही प्रस्तुत शोध का आर्थिक विश्लेषण है |

- **शैक्षिक विश्लेषण -**

  सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में दाखिल होने वाले छात्रों का नामांकन, विद्यालय से पलायन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संवर्धन में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता का अध्ययन ही प्रस्तुत शोध का शैक्षिक विश्लेषण है |

➢ **सामाजिक विश्लेषण -**

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता का अध्ययन ही प्रस्तुत शोध का सामाजिक विश्लेषण है|

1.6 शोध के उद्देश्य एवं प्रश्न -

शोध के उद्देश्य -

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान की स्थिति का अध्ययन करना|
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को मिलने वाले अनुदान की स्थितिका अध्ययन करना|
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों का विद्यालय नामांकन में आए बदलाव का अध्ययन करना|
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों की विद्यालय से पलायन की दर (ड्रॉपआउट रेट) की स्थिति का अध्ययन करना|
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति का अध्ययन करना|
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पाठ्यक्रम संवर्धन में शिक्षण सहायक सामग्री (TLM) की उपयोगिता का विवेचन करना|
7. सर्व शिक्षा अभियान से लोगों की शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता की स्थिति का विवेचन करना|

शोध प्रश्न -

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान की स्थिति कैसी थी ?
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को मिलने वाले अनुदान की स्थिति कैसी थी ?

3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों की विद्यालय नामांकन में आए बदलाव की स्थिति किस प्रकार थी ?
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों की विद्यालय से पलायन की दर (ड्रॉपआउट रेट) की स्थिति किस प्रकार थी ?
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति किस प्रकार थी?
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पाठ्यक्रम संवर्धन में शिक्षण सहायक सामग्री (TLM) की उपयोगिता किस प्रकार थी ?
7. सर्व शिक्षा अभियान से लोगों की शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता की स्थिति कैसी है ?

1.7 शोध का परिसीमन –

शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है की किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन किसी सीमित क्षेत्र में कर पाना ही एक शोधकर्ता के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा संभव हो पाता है | इसलिए अनुसंधान क्षेत्र का स्पष्टीकरण तथा उसकी सीमाओं को सुनिश्चित करना जरुरी होता है| प्रस्तुत शोध-कार्य को निम्नलिखित सीमाएँ निश्चित की गई है |

1. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में केवल वर्धा जिले में संचालित सर्व शिक्षा अभियान का ही अध्ययन किया है |
2. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित रखा है |
3. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में आर्थिक विश्लेषण वर्ष 2004-2009 इन पांच सालों तक चलाये गए सर्व शिक्षा अभियान तक सीमित है |
4. प्रस्तुत अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों के बीच केवल विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान, शिक्षकों को मिलने वाले अनुदान का आर्थिक विश्लेषण किया है |